प्रेस नोट दिनांक-22.09.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चकिया पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

□थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 05 अभियुक्तों के विरूद्ध की गई गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही

□आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय और आंतक का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

□इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है अवैध मादक पदार्थ की तस्करी जैसे अपराध कारित करते है।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली द्वारा अपराधियों के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थाना चकिया क्षेत्र से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर वैलिस्टर सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी ग्राम वार्ड नं. 14 म.नं. 313 थाना मोहनिया जिला भभुआ (बिहार) व सदस्यगण 1. रोहित कुमार सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी धनैछा थाना दुर्गावती जनपद भभुआ बिहार 2. मयंक कुमार सिंह पुत्र अछैवर सिंह निवासी धनैछा थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार 3. विवेक किरकेट पुत्र बिरसा किरकेटा निवासी तरंगा थाना जलडेगा जिला सिमडेगा झारखण्ड 4. प्रह्लाद कुमार पुत्र स्व. दयाशंकर राम निवासी कुर्रा थाना मोहनिया जिला भभुआ बिहार के विरुद्ध मु0अ0स0 165/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण का विवरण-

गैंग लीडर –

वैलिस्टर सिंह पुत्र सुदर्शन सिंह निवासी ग्राम वार्ड नं. 14 म.नं. 313 थाना मोहनिया जिला भभुआ (बिहार)

गैंग के सदस्य-

1. रोहित कुमार सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी धनैछा थाना दुर्गावती जनपद भभुआ बिहार

2. मयंक कुमार सिंह पुत्र अछैवर सिंह निवासी धनैछा थाना दुर्गावती जिला भभुआ बिहार

3. विवेक किरकेट पुत्र बिरसा किरकेटा निवासी तरंगा थाना जलडेगा जिला सिमडेगा झारखण्ड़

4.प्रह्लाद कुमार पुत्र स्व. दयाशंकर राम निवासी कुर्रा थाना मोहनिया जिला भभुआ बिहार

गैंग लीडर व सदस्यो का अपराधिक इतिहास –

1- मु0अ0सं0-165/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2- मु.अ.सं. 126/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम –

1. अतुल कुमार थानाध्यक्ष कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली
2. हे0का0 सूरज कुमार कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली
3. का0 रिजवान अली कोतवाली चकिया जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 22.09.2024

थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना अलीनगर पुलिस द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे कुल 02 राशि गोवंश बरामद करते हुए 01अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में गोवंशों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन एवम् आशुतोष क्षेत्राधिकारी पं.दी.द.उ.नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में अलीनगर पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप में क्रूरतापूर्वक बाधकर वध हेतु ले जा रहे 02 राशि गोवंश को बरामद करते हुए 01 तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस कार्यवाही- थाना अलीनगर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि 01 पिकअप में कुछ गोवंश वाराणसी के तरफ से आ रहे है जो बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल वध हेतु ले जाये जा रहे है। उपरोक्त सूचना के आधार पर आधार दिनांक 21.09.2024 को समय करीब 19.40 बजे थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा सिंधीताली पुल हाईवे पर एक-एक गाडियों को रोककर चेक किया जाने लगा। चेकिंग के दौरान महिन्द्रा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या UP65PT1044 को चेक किया गया तो उसमें कुल 02 राशि गोवंश (02 राशि गाय) जिन्दा अवस्था में जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा हुआ था। वाहन चालक / स्वामी दीपक सिंह पुत्र रामजी प्रसाद निवासी ग्राम काशीपुर थाना जन्सा वाराणसी को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 243/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

दीपक सिंह पुत्र रामजी प्रसाद निवासी ग्राम काशीपुर थाना जन्सा जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास-

दीपक सिंह पुत्र रामजी प्रसाद निवासी ग्राम काशीपुर थाना जन्सा जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष

मु.अ.सं. 243/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान –

दिनांक -21.09.2024

समय -19.40 बजे

स्थान – सिंधीताली पुल हाईवे थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

1-एक वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या UP65PT1044

2-कुल 02 राशि गोवंश जिन्दा(02 राशि गाय) अवस्था में बरामद

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 राहुल खरवार हल्का प्रभारी थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 रंजीत थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.09.2024

थाना धानापुर, जनपद चन्दौली

थाना धानापुर पुलिस द्वारा चोरी के सामान मोबाईल, पायल एक जोड़ी, नगद रूपयों आदि के बरामदगी के साथ 02 बाल अपचारी को लिया गया पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना-थाना स्थानीय अन्तर्गत ग्राम लोकुवा निवासी वादी मुकदमा शशिकान्त मिश्र पुत्र स्व0 सूबेदार मिश्र के घर में घुसकर दिनांक 21.07.2024 को रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर से एक अदद i Phone 15 व सोने की लाकेट व चांदी के पायल तथा नगद रूपये चोरी करने की घटना घटित हुई थी। वादी मुकदमा शशिकान्त मिश्र पुत्र सूबेदार मिश्र निवासी ग्राम लोकुवा थाना धानापुर जनपद चन्दौली के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 0116/2024 धारा 305 बी.एन.एस. का अभियोग बनाम अज्ञात अभियुक्त के पंजीकृत किया गया। अज्ञात चोरों व चोरी गये सामानों की पतारसी सुरागरसी लगातार की जा रही थी।

पुलिस कार्यवाही-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष प्रशान्त कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय मय टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना व निशानदेही के आधार पर दो बाल अपचारियों को लोकुवा गेट के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पूछताछ विवरण-पुलिस अभिरक्षा में लिये गये दोनो बाल अपचारियों द्वारा बरामदगी के विषय में बताया गया कि उन दोनों ने यह सब शशिकान्त मिश्रा जो ग्राम लोकुवा के रहने वाले हैं उनके घर में घुसकर चुराया था। जो भी पैसा मिला था उसे हम लोगों ने आपस में बांट लिया था और चोरी का मोबाईल भी प्रयोग किया जाता रहा। बाल अपचारी द्वारा बताया गया कि अन्य चोरी का सामान घर पर छिपा कर रखा हूं, बाल अपचारी के निशानदेही पर उनके घर से टाईटन घड़ी व वादी मुकदमा के पत्नि का आधार कार्ड बरामद हुआ।

बाल अपचारीगण के पास से बरामदगी का विवरण-

1. एक मोबाईल i Phone 15 pro
2. एक पायल सफेद धातु
3. एक टाईटन कलाई घड़ी
4. एक पैन कार्ड
5. रूपये 850 रूपये कुल चोरी के

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 प्रशान्त कुमार सिंह-थानाध्यक्ष थाना धानापुर जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 कृष्ण कुमार उपाध्याय-चौकी प्रभारी भदांहू थाना धानापुर जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 रामअजोर यादव-थाना धानापुर जनपद चन्दौली

4.हे0का0 हरिशंकर सिंह-थाना धानापुर जनपद चन्दौली

5.का0 रविप्रकाश गुप्ता- थाना धानापुर जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.09.2024

थाना शहाबगंज – जनपद चन्दौली

थाना शहाबगंज पुलिस टीम द्वारा अवैध देशी शराब के साथ 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस की बरामदगी करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

चन्दौली-पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में शराब तस्करी व मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया जनपद चन्दौली के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान मिर्जा रिजवान बेग थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.09.2024 को 02 शराब तस्करों द्वारा टीवीएस राइडर मोटर साइकिल पर एक बोरी मे 34 शीशी अवैध देशी शराब बिहार प्रान्त में बेचने हेतु ले जाते समय अवैध देशी शराब व एक अवैध तमंचा व एक जिन्दा कारतूस की बरामदगी करते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 101/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता-

1. प्रहलाद शर्मा पुत्र रमेश शर्मा उर्फ रामनरेश शर्मा निवासी वार्ड 06 गांधी पार्क थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र करीब 23 वर्ष

2. अभिषेक शर्मा उर्फ सूरज पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी वार्ड नं 06 गांधी पार्क थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र लगभग 19 वर्ष

स्थान गिरफ्तारीः-

मुसहर बस्ती नहर पुलिया के पास थाना क्षेत्र शहाबगंज जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण –

1.01 प्लास्टिक की बोरी मे 34 शीशी ब्लू लाइम, प्रत्येक 200 ml देशी शराब

2.01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस

3.टीवीएस राइडर मोटर साइकिल (UP67AK3308)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. मिर्जा रिजवान बेग- थानाध्यक्ष थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

2. उ0नि0 अभिषेक शुक्ला

3. का0 राजू चौहान

प्रेस नोट-दिनांक: 22.09.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 22.09.2024 को कुल 203 वाहनों का चालान करते हुए 2,63,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 22.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 203 वाहनों का चालान करते हुए 2,63,500/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्लंघन का प्रकार चालान की संख्या

1   मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-23

2.   बिना हेलमेट-99

3.   नो पार्किंग-39

4.   बिना इंश्योरेंस-09

5.   गलत नंबर प्लेट-06

6.   यातायात नियमों का उलंघन-07

7.   लाइसेंस ना होना-03

8.   बिना फिटनेस-01

9.   वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग-01

10. तेज गति से वाहन चलाना- 01

11. सेफ्टी बेल्ट-02

13. अन्य-12

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 22.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-203

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-2,63,500/- रूपयें।

प्रेस नोट दिनांक- 22.09.2024

जनपद चन्दौली

□जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 20 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 22.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 20 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।